न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/54/2017

उनवान

1. मोहन वल्द मगना गाडरी निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा
2. कूका वल्द मगना गाडरी निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा
3. नारायण वल्द मगना गाडरी निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा
4. रतन वल्द मगना गाडरी निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. मुरली मनोहर आत्मज श्री वल्लभ रांदड निवासी 42 कांचीपुरम भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा
2. श्यामसुन्दर आत्मज प्रभुलाल सोमाणी निवासी सज्जन विलास, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा
3. रामअवतार पिता घीसा लाल माहेश्वरी निवासी बी 79 कमला विहार तहसील व जिला भीलवाडा
4. बगतावर वल्द मगना गाडरी निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा
5. नारायण वल्द हीरा गाडरी निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा
6. मु0 नन्दु विधवा हीरा गाडरी निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा (फौत नाम डिलिट दिनांक 28.3.2019)
7. भूरा मुतबन्ना प्रताप गाडरी निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा
8. शैलेन्द्र कुमार वल्द शान्तिलाल हींगड निवासी ई 14 वसन्त विहार तहसील व जिला भीलवाडा
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के प्रकरण संख्या 81/2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.6..2016

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिवक्तागण :–

1. श्री एच डी वर्मा , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री एम एल बापना अधिवक्ता प्रत्यर्थी सख्या 1
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 27.8.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 /वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 के स्वामित्व आधिपत्य तथा खातेदारी अधिकार की मौजा पांसल तहसील भीलवाडा एवं जिला भीलवाडा की सरहद में आराजी नम्बर 612 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, लगानी 2 रूपये 27 पैसा स्थित है। जो संवत 2069 से 2072 की जमाबंदी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 के नाम दर्ज है , वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता मृतक मगना तथा प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 10 के खाते में दर्ज रेकार्ड है। वादीगण के पूर्व खातेदार मेघा मु0 खमाण गाडरी का हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के क्रय किया , जिस हिस्से पर विक्रेता मेघा मु0 खमाण गाडरी का कब्जा था व ही कब्जा विक्रेता मेघा द्वारा अपने हिस्से का कब्जा वादीगण को सिपुर्द किया। मेघा द्वारा ही अन्य खातेदारो के साथ आपसी रजामन्दी से विभाजन कर मौके पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करवा रखा है तथा फाटक भी लगवा रखी है जिसके ताला भी लगता है वह हिस्सा ही भौतिक रूप से विक्रेता मेघा द्वारा वादीगण को सिपुर्द किया , जिस पर वर्तमान में मेघा के बजाय वादीगण काबिज है। जिसका उल्लेख विक्रेता मेघा द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 19.8.2014 में भी करवा रखा है। वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 का खाता संयुक्त रहने से कोई भी पक्ष

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादवर्णित जमीन का विकास नहीं कर पा रहा है और न ही उचित रूप से वादवर्णित जमीन का उपयोग उपभोग ही कर पा रहा है । जिससे वादीगण जमीन का उचित रूप से उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। खाता संयुक्त रहने से कोई भी पक्ष जमीन का समुचित विकास नहीं कर पा रहा है और न ही उचित लाभ तथा उचित रूप से विकास नहीं कर पा रहे हैं। वादीगण संयुक्त खाते से अपने हिस्से का खाता अलग अलग करा अलग अलग रूप से खाते की पानडी पृथक पृथक प्राप्त करना चाहते हैं।

2. वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 को कतिपय बार कहा कि अपना अपना खाता हिस्से अनुसार अलग अलग करा लेवें और अलग अलग अपने हिस्से की पानडी भी अलग अलग प्राप्त कर लेवें व अंतिम बार दिनांक 30.9.2014 को भी कहा, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 इस बाबत तैयार नहीं हुए जिससे वाद पत्र प्रस्तुत करना पडा । अतः' बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण ग्राम पांसल स्थित आराजी नम्बर 612 रकबा 5 बीघा 01 बिस्वा की पांती बंटवाडा की डिक्री वादवर्णित आराजी की कराई जाने की डिक्री पारित की जावे तथा वादीगण के हिस्से में विक्रेता मेघा द्वारा संभलाया गया कब्जा वादीगण के हिस्से में रखाये जाने की डिक्री पारित की जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री पारित की। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय की अपीलार्थीगण को समय पर जानकारी नहीं हो पाई थी। दिनांक 20.2.2017 को प्रत्यर्थीगण नोहरे पर कब्जा करने आये तब अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। जानकारी होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थीगण ने अधिनस्थ न्यायालय में विभाजन का वाद पत्र प्रस्तुत किया जिसकी कोई जानकारी अपीलार्थीगण को नहीं दी गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को तामील हुई हो ऐसा अंकन नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.4.2016 को अखबार के जरिये तामील कराने का आदेश दिया था। तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.5.2016 नियत की गई। दिनांक 30.5.2016 को लोक अदालत थी। उस दिनांक 30.5.2016 को कोई पत्रावली नहीं निकली एवं न ही प्रकरण में कोई राजीनामा ही हुआ । लोक अदालत के दिन की सारी पत्रावलियों में आगामी पेशी दिनांक 1.8. 2016 नियत की गई थी। दिनांक 1.8.2016 को पता किया गया तो पत्रावली नहीं मिली थी। अपीलार्थीगण ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है वे अपने गांव आ गये। दिनांक 20.2. 2017 को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 ने सामलाती नोहरे पर कब्जा करना चाहा एवं अपीलाण्ट्स ने मना किया तो उन्होंने तथाकथित निर्णय की जानकारी दी। तब जाकर अपीलार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हो पाई

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

थी। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया ।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट्स ने मिलीभगत करके गांव के पास में जहॉ पर सभी पक्षकारान ने नोहरा बना रखा है उस हिस्से को अपने नाम पर करवा लिया जो अवैध होकर निरस्त योग्य है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया एवं दिनांक 30.5.2016 की तारीख को काट–छांट करके 31.5.2016 कर जल्दबाजी में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 को फायदा पहॅूचाने के लिए जैसा रेस्पोडेण्ट्स ने चाहा उसी अनुरूप निर्णय पारित कर दिया । जो अवैध होने से निरस्त योग्य है।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि दिनांक 21.6.2016 की आदेशिका में अधिनस्थ न्यायालय ने यह लिखा है कि निर्णय अलग से लिखा गया। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है। जो निर्णय आदेशिका पर लिखा गया है वह निर्णय की तारीफ में नहीं आता है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है।

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय में केवल मात्र मुरली मनोहर के हस्ताक्षर हैं और कोई उपस्थित नहीं हुआ अधिनस्थ न्यायालय ने जैसा मुरली मनोहर ने कहा वैसा फैसला कर दिया । जिससे अपीलाण्ट्स कतई पाबन्द नहीं है। बंटवाडे हेतु काश्तकारी अधिनियम में अलग से नियम बने हुए हैं उनके अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा करना चाहिये था जो नही कर केवल मात्र एक पक्ष को फायदा पहॅूचाने के लिए निर्णय एवं डिक्री पारित

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

की गई जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे ।

11. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण का निवेदन है कि अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का समुचित कारण नहीं बताया है। इसलिए अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये गये जिसकी तामील नहीं होने पर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में अखबार में प्रकाशन कराया गया । उसके बावजूद अपीलार्थीगण अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं उस पर अधिनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत तरीके से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत है।

12. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीगण द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

13. अपीलार्थीगण का कथन है कि उन्हें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील प्रोपर नहीं हुई थी। जिससे वे अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाये है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की प्रोपर तामील नहीं होने के कारण अखबार में प्रकाशन कराया गया था। उसके उपरान्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। प्रोपर तामील नहीं होने के उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया अपना कर अखबार में प्रकाशन करवाने

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

का आदेश पारित किया । जिस पर अखबार में प्रकाशन कराया गया । उसके उपरान्त भी अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है।

14. अपीलार्थीगण का यह कथन है कि आदेशिका दिनांक 21.6.2016 में निर्णय अलग से लिखा जाना अंकित किया है जबकि आदेशिका के अलावा अन्य कोई निर्णय नहीं लिखा गया है। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 21.6.2016 में अंकित किया गया है कि '' वादी वकील की बहस सुनी गई राजस्व रेकार्ड अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर निर्णय अलग से लिखा जाकर पालना हेतु पत्रावली दिनांक 27.7.2016 को पेश हो। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकार्ड अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी करने का निर्णय लिखाये जाने का अंकन आदेशिका दिनांक 21.6.2016 में किया गया है। पालना हेतु पत्रावली को आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.7.2016 नियत की है। अपीलार्थीगण का यह कथन नहीं है कि राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से से उनका हिस्सा ज्यादा है। अपीलाण्टगण स्वयं राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से से सहमत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अहकाम पर निर्णय लिखा जाकर एवं प्रारंभिक डिक्री वर्तमान राजस्व रेकार्ड अनुसार पारित की गई है। अपीलाण्ट को तामील के पर्याप्त प्रयास किये गए व अखबार में साया कराया जाकर भी सूचित किया जाना रिकॉर्ड से प्रकट है, ऐसे में प्रथम अपील में अपीलाण्ट को प्राथमिक डिक्री में पारित निर्णय से भिन्न हिस्सों को लेकर ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के साथ आपत्ति दर्ज करानी थी, परन्तु अपीलाण्ट द्वारा इस बाबत कोई उजर नहीं दिया है। अतः अपीलाधीन निर्णय में राजस्व रिकॉर्डनुसार जो विभाजन की डिक्री पारित की गई है, वह

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

विधिसम्मत है। जिसमे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

15. अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 21.6.2016 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावे।

16. निर्णय आज दिनांक 27.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/54/2017

उनवान

1. मोहन वल्द मगना गाडरी निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा
2. कूका वल्द मगना गाडरी निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा
3. नारायण वल्द मगना गाडरी निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा
4. रतन वल्द मगना गाडरी निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. मुरली मनोहर आत्मज श्री वल्लभ रांदड निवासी 42 कांचीपुरम भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा
2. श्यामसुन्दर आत्मज प्रभुलाल सोमाणी निवासी सज्जन विलास, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा
3. रामअवतार पिता घीसा लाल माहेश्वरी निवासी बी 79 कमला विहार तहसील व जिला भीलवाडा
4. बगतावर वल्द मगना गाडरी निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा
5. नारायण वल्द हीरा गाडरी निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा
6. मु0 नन्दु विधवा हीरा गाडरी निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा (फौत नाम डिलिट दिनांक 28.3.2019)
7. भूरा मुतबन्ना प्रताप गाडरी निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा
8. शैलेन्द्र कुमार वल्द शान्तिलाल हींगड निवासी ई 14 वसन्त विहार तहसील व जिला भीलवाडा
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

10 TA /54/2017 मोहन बनाम मुरली मनोहर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के प्रकरण
संख्या 81/2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.6..2016
अधिवक्तागण :–

1. श्री एच डी वर्मा , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री एम एल बापना अधिवक्ता प्रत्यर्थी सख्या 1
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/54/2017** मे **उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित ड्क्रिी जारी की जाती हैं:

यह अपील तारीख 27.8.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री एच डी वर्मा प्रत्यर्थी संख्या 1 श्री एम एल बापना वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 27.8.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 21.6.2016 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 27.8.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस